कम्प्यूटर परिपत्र सं0. 15/6017 दिनांक. 08-06-2015

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0/स0प0/ समन्वय बैठक / 2015-16 / 651 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : 08 :मई ,2015

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में हो रहे करापवंचन को रोकने में विभाग की प्रवर्तन एवं कर निर्धारण इकाई में अन्योन्याश्रित (को रिलेटेड) सम्बन्ध है । पारस्परिक सामान्जस्य बढाने के दृष्टिगत वि0अनु0शा0 कार्य को और अधिक पारदर्शी एवं परिणामपरक बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व संचालित वि0अनु0शा0 जॉच व्यवस्था को समाप्त कर मुख्यालय के परिपत्र सं0- ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0-57/ स0प0/12-13/वि0अनु0शा0 व्यवस्था परिवर्तन / 692/ / वाणिज्य कर दि0 03-7-2012 नई जॉच व्यवस्था लागू की गयी है । उक्त परिपत्र में मासिक जॉच कोटा समाप्त कर वि0अनु0शा0 जॉच के पूर्व की जाने वाली कार्यवाही, जॉच अनुमति लिए जाने की प्रक्रिया, जॉचोपरान्त एवं प्रतिवेदन भेजने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विशद एवं स्पष्ट उल्लेख किया गया है । इसी परिपत्र में वि0अनु0शा0 जॉच के आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश का परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है । जिसमें रु0 एक करोड से अधिक के करअपवंचन वाले मामलों का परीक्षण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) रु0 25 लाख से एक करोड तक के मामलों का परीक्षणं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) , रु0 25 लाख तक के मामलों का परीक्षण डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा किये जाने के निर्देश है ।

इसी प्रकार कर निर्धारण इकाई में लगे अधिकारियों को शत प्रतिशत रिटर्नो को दाखिल कराने, दाखिल रुपपत्रों की मानीटरिंग करने एवं आई0टी0सी0 के सत्यापन करने , रिटर्न न दाखिल करने वाले पंजीकृत सुप्त व्यापारियों का पंजीयन निरस्त कराने, रुपपत्रों के आधार पर करापवंचन में लिप्त पाये गये व्यापारियों की वि0अनु0शा0 जॉच की संस्तुति करने तथा वि0अनु0शा0 वादों में प्रतिवेदन प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही एवं प्राथमिकता से स्थाई करनिर्धारण की कार्यवाही आदि सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पूर्व में ही मुख्यालय स्तर से दिये गये हैं । परन्तु वर्तमान में दोनों इकाईयों के मध्य परस्पर सामन्जस्य का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है ।

मुख्यालय द्वारा परिपत्र सं0 692 दि0 03-07-2012 से जारी निर्देश में परिवादों का सम्यक परीक्षण कर जिस स्तर के अधिकारी से जॉच कराया जाना अपेक्षित हो उस अधिकारी के स्तर से जॉच कराये जाने की कार्यवाही भी नहीं की जा रही है बल्कि रुटीन तौर पर ऐसे परिवादों की जांच भी वि0अनु0शा0 इकाईयों से कराई जा रही है जिनकी जॉच कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर से कराई जानी हैं ।

इसी प्रकार विभागीय वि0अनु0शा0 माडयूल्स पर भी आई0बी0 1/2 व फाइनल रिर्पोट की अपलोडिंग अपूर्ण विवरण के साथ सतही तौर पर की जा रही है एवं निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रुपेण पालन नहीं किया जा रहा है । उपरोक्त दृष्टांतो से स्पष्ट है कि मुख्यालय द्वारा की गयी अपेक्षाओ एवं दिये गये निर्देशों का पूर्ण मनोयोग से फील्ड के अधिकारियों द्वारा अनुपालन नही किया जा रहा है। यह स्थिति राजकीय कार्य के हित में नहीं है। प्रवर्तन इकाइयों एवं कर- निर्धारण इकाई के

अधिकारियों में पारस्परिक सामन्जस्य न होने के कारण एक ओर मुख्यालय से निर्गत निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन नहीं हो रहा है वही दूसरी ओर करापवंचन रोकने की दिशा में भी ठोस एवं परिणाममूलक कार्यवाही परिलक्षित नहीं हो रही है।

मुख्यालय परीक्षण पर पाये गये उल्लिखित तथ्यो के दृष्टिगत आंपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि अधिक्षेत्र में किये जा रहे करापवंचन को रोकने हेतु ऐसी व्यापारिक वस्तुओं की जाँच जिनमें वृद्धि राज्य औसत से कम है, रुपपत्रों की समीक्षा के उपरांत करापवंचन में लिप्त पाये गये व्यापारियों की वि0अनु0शा0 जॉच कराने के संबंध मे तथा सर्वेक्षण के उपरांत प्रेषित प्रतिवेदनों के आधार पर व्यापारियों के विरुद्ध अस्थाई / स्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित करने आदि सम्बन्धी समग्र बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रवर्तन शाखा एवं कर निर्धारण अधिकारियों की प्रत्येक माह नियमित रुप से समन्वय बैठक आयोजित कराकर ठोस एवं सार्थक कार्यवाही करायी जाय। प्रत्येक माह में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय को भी अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराते हुए बैठक में लिए गये निर्णय के उपरांत कृत कार्यवाही के परिणामों से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भविष्य में दिशा निर्देशों के अनुरुप समय से परिणामपरक कार्यवाही न किया जाना पाये जाने पर ऐसे अधिकारियों के साथ-साथ उनके पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की भी शिथिलता मानते हुए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायगा।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दि0 उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने / कराने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत कराने का कष्ट करें :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

05/6/15

(अरविन्द कुमार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।